HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के अभियोग में एक हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.03.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "एक व्यक्ति की हत्या करने" के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 17.09.2019 को अभियुक्त सूरज पुत्र प्रेमवीर निवासी ऊंचा अमीरपुर थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 372/19 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.12.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (डी.जी.सी) व विवेचक निरीक्षक श्री रवि रतन एवं पैरोकार है0का0 रघुवीर व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 301 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।